[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।, खण्ड-। में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
* * * * * *

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर, 1996.
28 कार्तिक, 1918 [शक]

संकल्प

सं0 5 [12]/संस्था-III/93. सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के और इसी मंत्रालय के दिनांक 12 जनवरी, 1995, 17 जुलाई, 1996 और 24 अक्तूबर 1996 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत संशोधित समसंख्यक संकल्प में यथा-निहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में, संकल्प के पैरा 2[छ] के नीचे एक नया पैरा 2[ज] जोड़कर निम्न प्रकार से एक और संशोधन किया जाएगा:-

2[ज]: "केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों में उत्पादकता से जुड़े बोनस के निर्धारण और भुगतान के लिए लागू विभिन्न प्रणालियों की जांच करना तथा बोनस के भुगतान को शासित करने वाले सामान्य नियमों और शर्तों की सिफारिश करना और प्रत्येक उस मंत्रालय एवं विभाग के लिए जिसमें इस समय उत्पादकता से जुड़े बोनस की योजनाएं लागू हैं, बोनस फार्मूले तैयार करने के लिए विशेष पैरामीटरों की भी सिफारिश करना ।

आयोग उन विभागों में लागू तदर्थ बोनस योजना की भी जांच करें, जहां उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता की सिफारिश करने की दृष्टि से उत्पादकता से जुड़े बोनस की योजनाएं परिचालन में नहीं है और आयोग उत्पादकता सूची और उससे संबंधित अन्य पैरा-मीटरों को निर्धारित करने के लिए विशेष फार्मूले की सिफारिश करें ।"

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर लिया जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को भेज दी जाए ।

[signature]
[एन0के0 सिंह]
सचिव, भारत सरकार